कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश
मोतीमहल, ग्वालियर.
-=:0:=-

क्रमांक/रसायन शाला./271 ग्वालियर, दिनांक 8.11.96

प्रति,

समस्त जिला आबकारी अधिकारी
मध्यप्रदेश.

विषय - देशी मदिरा की गुणवत्ता सुनिश्चित किया जाना ।

-=:0:=-

समाचार पत्रों में इस आशय के समाचार प्रकाशित हुए हैं कि मेसर्स केडिया ग्रेट गेलियन लि. (आसवनी) जिला धार के द्वारा मद्यभाण्डागारों को अवमानक स्तर की स्पिरिट सप्लाय की जा रही है । इस स्पिरिट से बनी देशी मदिरा में कचरा (सेडिमेन्टस) तथा धुंधलापन (Turbidity) पाए गए है । हमें यह सुनिश्चित करना है कि मद्यभाण्डागारों से प्रदाय की जाने वाली देशी मदिरा की गुणवत्ता भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार होनी चाहिए । अतःयह निर्देश दिये जाते हैंकि स्पिरिट मद्यभाण्डागार में प्राप्त होने पर तथा इससे बनी मदिरा का प्रदाय करने के पूर्व आवश्यक रूप से उसका प्रत्यक्ष अवलोकन (visual observation) किया जाए तथा उसके सम्बन्ध में कुछ भी असामान्य प्रतीत होने पर तुरन्त स्पिरिट/मदिरा का रसायनिक परीक्षण कराया जाय और यदि स्पिरिट उपयुक्त गुणवत्ता की नहीं है तो उसका उपयोग न्यूनीकरण द्वारा देशी मदिरा निर्माण हेतु न किया जावे। बॉटलिंग की प्रक्रिया के पश्चात् भी देशी मदिरा में यदि दुर्गन्ध होना, धुंधलापन या कचरा आदि पाया जाता है तो इसे अत्यंत गंभीरता से लेते हुए इस तरह की मदिरा का प्रदाय मदिरा की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने तक रोक दिया जाए । परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस मदिरा के निराकरण के लिए अपने संभागीय उपायुक्त (आबकारी) से आदेश प्राप्त करें।

उक्तानुसार कार्यवाही करने के लिए सभी मद्य भाण्डागारों के प्रभारी अधिकारियों को तत्काल निर्देशित किया जावे। यदि किसी भी जिले/मद्यभाण्डागार में इन निर्देशों कीअवहेलना किया जाना पाया जाता है तो संबंधित मद्य - भाण्डागार अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी ।

आबकारी आयुक्त,
मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 8.11.96

क्रमांक/स्थापन आला./272

प्रतिलिपि:-

(1) समस्त उपायुक्त आबकारी म.प्र.।

(2) उपायुक्त आबकारी राज्य स्तरीय उ.द. ग्वालियर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

//श्रीवास्तव//
7.11.1996